संख्या 13 / 2016/897/सत्रह- म- 2016 6-9(43)/ 2015

प्रेषक,

नीलम अहलावत,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

निदेशक मत्स्य
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ :दिनांक 06 मई 2016

विषय वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में ।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-230/ नि0शा0/ दिनांक 03-05-2016 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में विभागीय अनुदान संख्या -17 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण योजना हेतु कुल रू0 43.87 लाख का प्राविधान किया गया है, जिसमें 09- .विद्युत मद में प्रावधिानित धनराशि 11.54 लाख में से रू0 6.48695 लाख को घटाते हुए कुल रू0 37.38305 लाख(सैतीस लाख अडतीस हजार तीन सौ पांच मात्र) की धनराशि को 34 जनपदों के लिए संलग्न तालिकानुसार श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतें है।

1 उ0प्र0 बजट मैनुअल के आठवें अध्याय के अनुलग्नक -ए के अनुसार अपेक्षित विवरण अवश्य रखा जाय /उपलब्ध कराया जाय ।
2 निर्माण कार्य के लिए सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) आदि के निर्माण हेतु वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या –ए-2- 23/दस-2011-17 (4) /75 दिनांक 25 जनवरी 2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या - –ए-2- 1606/दस-2014 -17 (4) /75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।
3 कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राज्यकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
4 धनराशि का आवंटन एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है । जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

5 योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा ।

6 विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवटित वितरण धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में शासनादेश संख्या – बी- 1-1195 /दस-16-94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7 व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ –साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइर्टी का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -17 लेखाशीर्षक- 2405- मछली पालन- आयोजनागत 101- अर्न्तदेशीय मछली पालन 04- मत्स्य विकास कार्यक्रम 0408- विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण 02- मजदूरी 09- विद्युत देय 39- औषधि तथा रसायन 42- अन्य व्यय 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहें है ।

संलग्नक – यथोपरि

भवदीय

(नीलम अहलावत)
सचिव ।

संख्या 13/ 2016 /897 (1)/ सत्रह- म- 2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा -परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद
3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/ नियोजन अनु0-3
6 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

शासनादेश संख्या 13 / 2016 /897/सत्रह- म- 2016 6-9(43)/ 2015

दिनांक 06 मई, 2016 का संलग्नक

(धनराशि रू0 में

)

क्र0 सं0	जनपद	प्रक्षेत्र का नाम	लक्ष्य मत्स्य बीज उत्पादन (लाख में)	02- मजदूरी	09- विद्यूत देय	39- औषधि तथा रसायन	42- अन्य व्यय	43- सामाग्री एवं सम्पूर्ति	कुल योग
1	आगरा	लडामदा	8.00	2000	-	2000	4000	30320	38320
2	मैनपुरी	चौराईपुर	2.00	500	-	500	1000	7580	9580
3	आजमगढ	अजमतगढ	20.00	5000	-	5000	10000	75800	95800
4	मऊ	हाजीपुर	15.00	3750	-	3750	7500	56850	71850
5	बलिया	निधरिया एवं अवांय	33.00	8250	41000	8250	16500	125070	199070
6	इलाहाबाद	तेन्दुआ एवं तरावां	45.00	11250	34627	11250	22500	170550	250177
7	फतेहपुर	टेसाही बुर्जुग	15.00	3750	25650	3750	7500	56850	97500
8	प्रतापगढ	बेलहा	35.00	8750	59850	8750	17500	132650	227500
9	कानपुरनगर	चौबेपुर	5.00	1250	-	1250	2500	18950	23950
10	इटावा	करवा बुर्जुग	5.00	1250	8550	1250	2500	18950	32500
11	देवरिया	खुखुंदू	15.00	4000	-	4000	7000	56600	71600
12	कुशीनगर	गंगेलवा	11.00	2750	-	2750	5500	41690	52690
13	बस्ती	भांकरपुर	10.00	2500	-	2500	5000	37900	47900
14	संतकबीर नगर	तामां	17.00	4250	19070	4250	8500	64430	100500
15	सिद्यार्थनगर	पंचमोहनी	21.00	5250	-	5250	10500	79590	100590
16	महोबा	अटकोहा	4.00	1000	-	1000	2000	15160	19160
17	झांसी	गुरूसराय	22.00	5500	-	5500	11000	83380	105380
18	जालौन	आटा	8.00	2000	13680	2000	4000	30320	52000
19	ललितपुर	माताटीला	17.00	4250	-	4250	8500	64430	81430
20	सुल्तानपुर	तौकलपुर	19.00	4750	-	4750	9500	72010	91010
21	बाराबंकी	बंकी	30.00	7500	-	7500	15000	113700	143700
22	गोण्डा	पुरेतिवारी	40.00	10000	48400	10000	20000	151600	240000
23	बरेली	लाबांखेडा	6.00	1500	-	1500	3000	22740	28740
24	शाहजहॉपुर	बलेली	17.00	4250	19070	4250	8500	64430	100500
25	बिजनौर	ढेलाअहीर	5.00	1250	-	1250	2500	18950	23950
26	बागपत	सरूरपुर	10.00	2500	17100	2500	5000	37900	65000
27	उन्नाव	नबाबंगज	33.00	8250	15000	8250	16500	125070	173070

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

28	सीतापुर	सुरैचा	17.00	4250	-	4250	8500	64430	81430
29	हरदोई	सण्डीला	17.00	4250	19070	4250	8500	64430	100500
30	लखीमपुर	घरथनियां	37.00	9250	63270	9250	18500	140230	240500
31	वाराणसी	दीनदासपुर	15.00	3750	15650	3750	7500	56850	87500
32	जौनपुर	गूजरताल	32.00	8000	24624	8000	16000	121280	177904
33	मिर्जापुर	बघोडा एवं समोग्रा	42.00	10500	32319	10500	21000	159180	233499
34	संतरविदास नगर	बिक्रमपुर	47.00	11750	48375	11750	23500	178130	273505
	योग		675.00	169000	505305	169000	337000	2558000	3738305

(रू0 सैतीस लाख अडतीस हजार तीन सौ पांच मात्र)

(नीलम अहलावत)
सचिव ।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।